शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या: 8/2016/1018 /12-2-2016-बजट.5/2012टी0सी0

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 27 अप्रैल, 2016

विषय: प्रदेश में संचालित योजनाओं में वितरित किए जाने वाले खरीफ, 2016 से प्रमाणित बीजों पर अनुदान डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के अन्तर्गत आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सीधे कृषकों के बैंक खातों में स्थानान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या: 13/2015/2580/12-2-2015-बजट.5/2012 दिनांक 17 अगस्त, 2015 के द्वारा रबी 2015-16 के बीजों के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में संचालित योजनाओं में वितरित किए जाने वाले प्रमाणित बीजों पर अनुदान डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से सीधे कृषकों के बैंक खातों में स्थानान्तरित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त के क्रम में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में संचालित योजनाओं में खरीफ वर्ष 2016 हेतु प्रमाणित बीजों का वितरण विकास खण्ड स्थित विभागीय बीज गोदामों के माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक 08 मई, 2016 से 30 जून, 2016 तक किया जायेगा। पारदर्शी किसान सेवा योजना के अन्तर्गत पूर्व में पंजीकृत समस्त कृषक इस हेतु स्वत: पात्र माने जायेंगें। वर्तमान में चलाया जा रहा पंजीकरण 05 मई, 2016 तक लगातार चलता रहेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 17 अगस्त, 2015 में उल्लिखित शेष प्राविधान एवं व्यवस्था यथावत लागू रहेंगी।

4. कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)

प्रमुख सचिव।

संख्या: 8/2016/1018(1)/12-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निजी सचिव, मा0 कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री कृषि (श्री राजीव कुमार सिंह तथा श्री राधे श्याम सिंह जी), उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग/सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, लखनऊ।
13. निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ।
14. अपर कृषि निदेशक (बीज एवं प्रक्षेत्र), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15. समस्त परियोजना अधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।
16. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
17. समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
18. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
19. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
20. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
21. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
22. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।